



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 160]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

### संकल्प

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

**फा. सं. 12011/13/2016-बीसी-II.**—जबकि भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खण्ड-1, जी.एन. सं. 186 सोमवार, 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित दिनांक 10.09.1993 के भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी के तहत राज्य: हिमाचल प्रदेश: सामान्य सूची: गद्दी (सिर्फ विलय क्षेत्रों में) को क्र.सं. 47 पर तथा गूज़र या गूज़र (केवल विलय क्षेत्रों में) को क्र.सं. 48 पर भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खण्ड-1, जी.एन.सं. 186, सोमवार, 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित दिनांक 10.09.1993 के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी के तहत तथा भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खण्ड-1, जी.एन. सं. 83, मंगलवार, 16 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/21/1995-बीसीसी के तहत शामिल किया गया था।

जबकि भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खण्ड-1, जी.एन. सं. 88 गुरुवार, 25 मई, 1995 में प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 25.05.1995 तथा 17.07.1995 के संकल्प सं. 12011/7/1995-बीसीसी के द्वारा सिक्किम राज्य सामान्य सूची: लिम्बू (सोंग, सुब्बा तथा यकथुंगवा सहित) को क्रम. सं. 3 पर शामिल किया गया था।

जबकि उक्त समुदायों "गद्दी (केवल विलय क्षेत्रों में)", "गूज़र या गूज़र (केवल विलय क्षेत्रों में)" तथा "लिम्बू (सोंग, सुब्बा तथा यकथुंगवा सहित)" को क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर दिया गया है, उक्त संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, नामतः:—

1. क्र.सं. 47 एवं प्रविष्टि नामतः "गद्दी (केवल विलय क्षेत्रों में)" जाति तथा क्र.सं. 48 एवं प्रविष्टि नामतः "गूज़र या गूज़र (केवल विलय क्षेत्रों में)" हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से हटा दी गई है।
2. क्र.सं. 3 तथा प्रविष्टि नामतः "लिम्बू (सोंग, सुब्बा तथा यकथुंगवा सहित)" जाति सिक्किम राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से हटा दी गई है।

वी.एल.मीना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****(Department of Social Justice and Empowerment)****RESOLUTION**

New Delhi, the 25th May, 2016.

**No. 12011/13/2016-BC-II.**—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No.12011/68/93-BCC dated 10.9.1993 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-1, G.N. No. 186, Monday, September 13, 1993 in the State : Himachal Pradesh : Common List : Gaddi (in merged areas only) was included against S.No.47 and Gujjar or Gujar (in merged areas only) was included against S.No.48 vide Resolution No.12011/68/93-BCC dated 10.9.1993 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-1, G.N. No. 186, Monday, September 13, 1993 and vide Resolution No.12011/21/1995-BCC published in Extra Ordinary issue of Gazette of India Part-I, Section-1 G.N. No. 83, Tuesday, May 16, 1995.

Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No.12011/7/1995 dated 25.5.1995 and 17.7.1995 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-1, G. No. 88, Thursday, May 25,1995 in the State : Sikkim : Common List : Limboo (including Tsong, Subba and Yakthungba) was included against S.No.3.

Whereas the said communities “Gaddi (in merged areas only)”, “Gujjar or Gujar (in merged areas only)” and “Limboo (including Tsong, Subba and Yakthungba)” have been included in the list of Scheduled Tribes of Himachal Pradesh and Sikkim respectively, there the following amendments are made in the said Resolutions namely:

1. S. No. 47 and entry namely “Gaddi (in merged areas only)” caste and S.No.48 and entry namely “Gujjar or Gujar (in merged areas only)” stands deleted from the Central List of OBCs for the State of Himachal Pradesh.
2. S. No. 3 and entry namely “Limboo (including Tsong, Subba and Yakthungba)” caste stands deleted from the Central List of OBCs for the State of Sikkim.

B. L. MEENA, Jt. Secy.